



भारतीय देलवे में सामाजिक सुकृद्धा योजनाएँ और कार्मिक प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन

प्रा. डॉ. इपतेखाव आर हुक्सेन
सेठ केसलीमल पोबवाल कॉलेज, कामठी, जिला नागपुर.

साकाशं

आज के युग में मानवीय जीवन में भारतीय देलवे ने देश के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वाजनीतिक जीवन को लगातार प्रभावित किया है। वर्तमान वैश्वीकृत व्यवस्था में भारत भारतीय देलवे के आकार में वृद्धि श्रमिकों के संख्या में वृद्धि, श्रम संघों की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि प्रौद्योगिक एवं आधुनिक यंत्रों पर बढ़ते प्रयोग इत्यादी ने मिलकर भारतीय देलवे में सामाजिक सुकृद्धा एवं कार्मिक प्रबंध के महत्व को बढ़ा दिया है। आज बिना सामाजिक सुकृद्धा एवं कार्मिक प्रबंध के भारतीय देलवे की कल्पना भी नहीं किया जा सकता।



प्रक्षालन

सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंध के आशय उन समस्त प्रबन्धकीय विधीयों से हैं जिनका प्रयोग कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को व्यक्तिगत क्षय से हल करने हेतु किया जाता है। छूटके शब्दों में मानव संसाधन प्रबंध एक ऐसा प्रबंधकीय विभाग है जिसके द्वारा मानव संसाधन के संरक्षण के योव्य बनाने हेतु हक्क संभव प्रयास किये जाते हैं। ताकि फर्म न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं श्रेष्ठतम निष्पादन की दिश्टी में पहुँच जाये। इस हेतु यह विभाग अनेक कार्य करता है, जैसे कर्मचारी की वैज्ञानिक अर्ती एवं चयन, उनमें कार्य का योव्यतानुकार विभाजन, कार्य की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनके कार्य को देखतेर हुए मजदुरी एवं वेतन, पदोन्नति, अवनति, स्थानान्तरण की नितियाँ बनाना तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि हेतु कल्याणकारी योजनाएँ बनाना है।

सामाजिक सुकृद्धा का अर्थ:-

सामाजिक सुकृद्धा आधुनिक युग उन गतिशील विचारों में से एक है जिसने विश्व में बहुत के देशों की आर्थिक एवं सामाजिक नीति पर असर डाला है। सामाजिक सुकृद्धा का विचार यह है कि व्याय को अपने सभी नागरिकों

को एक ऐसे व्यापक आधार पर जिसमें जीवन की सभी खास मुक्तीबोतें शामिल हो, औतिक कल्याण के एक न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। किसी मनुष्य के जीवन में छुक्कों पर तिर्भव कहने की दो अवस्थाएँ होती हैं- बचपन एवं बुढ़ापा तथा प्रौढ़ जीवन के बीच आने वाले वर्षों में ऐसे दोनों आते हैं जो बवहँ आजीविका भी नहीं करता। सामाजिक असुकृता की खास जोखिमें जो मानवीय जीवन में आती है और जिनके संबंध में संगठित समाज असहाय व्यक्ति को शहत देता है। वे घटनाएँ होती हैं। तो बचपन के शुक्ल होकर बुढ़ापे एवं मृत्यु तक आती रहती हैं। इनमें बीमारी, प्रसूति, असर्मर्थता, दुर्घटना, बेकारी, वृद्धावस्था, आजीविका करने वाले की मृत्यु एवं छुक्की ऐसी मुक्तीबोतों वाली क्षितीयों शामिल हैं।

श्रमिकों के सामने कई तरह की असुकृताएँ आती हैं- प्रथम आय की असुकृता और उसके पैदा होने वाली मुक्तीबत श्रमिकों के सामने आ रहती है। इस तरह की कहाँ असुकृताएँ जैसे-

१. कम मजदूरी (जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने की कोशिक की जा सकती है।)
२. मजदूरी भुगतान के गलत ढंग जिसमें भुगतान की, अनियमितता, गैरकानुनी कर्तौतियों एवं गलत गणना आदि शामिल हैं (जिन्हें मजदूरी भुगतान एकट में उचित व्यवस्थाओं श्रमिक संघों के हस्तदेश एवं श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों आदि के द्वारा सुधारा जा सकता है।)
३. बैठकी, छटनी एवं पदविमुक्ति (जिसके लिए संबंधित कानून के अंतर्गत हर्जाने की व्यवस्था द्वारा सुकृता प्रदान की जा सकती है।) बेकारी (आंशिक या पूर्ण जिसके हर्जाने और मदद की व्यवस्था होनी चाहिए। आदि के कारण पैदा होती और फैलती है।)

सब विलियम बेवरिज के अनुसार “सामाजिक सुकृता से अभिप्राय एक ऐसी पञ्चति युक्त योजना के हैं जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेकारी इन पाँच दानवों पर विजय मिलें।” इस परिभाषा में बेवरिज ने सामाजि की धारणा को पाँच दानवों से संबंधित कर दिया है। आवश्यकता के विकल्प सुकृता से अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को उनकी सेवाओं के बदले इनकी पर्याप्त आय दिलाना जो उसके लिए पर्याप्त हो। अज्ञानता के विकल्प सुकृता से आशय समाज के सभी सदस्यों को अधिकाधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। बीमारी से सुकृता का विचार अस्वस्थता के समय प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ दिलाना है। गंदगी के विकल्प सुकृता से आशय उन दोषों को दूर करना है जो कि तगड़ों की अनियोजित वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। बेकोजगारी के विकल्प सुकृता अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी सेवाओं के बदले यथोचित आय का समुचित अवसर प्रदान करना समिलित किया जाता है।

अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार- “सामाजिक सुकृता वह सुकृता है जो कि समाज को उपर्युक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों के जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों में प्रदान करता है। सुकृता एक मानसिक क्षितीय है। और एक वास्तविक व्यवस्था भी है। सुकृता प्राप्त होने का अर्थ है कि, मनुष्य यह

विश्वास हो की आवश्यकता होने पर सुविधा प्राप्त होगी। सुविधा गुण और परिणाम में संतोषजनक भी होनी चाहिए।”

सामाजिक सुविधा की विशेषताएँ-

१. सामाजिक सुविधा किसी देश के नागरिकों का वह मानवीय अधिकार है जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आपत्तियों से सुविधा मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार सामाजिक सुविधा का उत्तरदायित्व समाज पर है। जिसका वहन वह एक उपयुक्त संगठन की स्थापना करते हुए करता है।
२. सुविधा एक विशिष्ट आकस्मिकताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है।
३. सामाजिक सुविधा से जो लाभ व्यक्तियों को मिलते हैं वह दान के रूप में प्राप्त होते हैं।
४. सामाजिक सुविधा गुण और परिणाम में संतोषजनक होती चाहिए।
५. सामाजिक सुविधा एक प्रावैदिक धारणा है उसका स्वरूप व क्षेत्र समय की गति के साथ-साथ परिवर्तित होता रहता है।

सामाजिक सुविधा का उद्देश्य

सभी सामाजिक सुविधा व्यवस्थाओं का तिहास उद्देश्य होता है- हर्जाना, पुनःस्थापना एवं निवारण। हर्जाने का संबंध आय सुविधा से है और इस विचार पर आधारित है कि जोखिमों के दौरान व्यक्ति और इसके परिवार की दोहरी मुक्तीबद्धता (जिसमें बेसहारा होना तथा स्वास्थ्य, अंग, जीवन या काम का तुकसान दोनों शामिल हो) नहीं भुगतने देना चाहिए। पुनःस्थापन का मतलब है बीमार एवं असमर्थ का इलाज, पुनःजोगार एवं पुनर्वास और कुछ ढंगों में यह सामाजिक क कार्यों से संबंधित पुकारी धारणाओं का बढ़ना है।

मानव संसाधन प्रबंध का महत्व

व्यवसाय के आकार में वृद्धि एवं जागरूकता के विकास के साथ-साथ मनुष्य उद्योगों का अत्यरिक्त महत्वपूर्ण भाग बन गया है। मानव संकल्प एवं मानव चिन्तन परिवर्तन के कावक हैं तथा परिवर्तनशील हैं। वक्तुतः इसी कावण मानव स्वभाव ऐसा है कि यह दूसरों के साथ कार्य पर करने के दौरान किसी के भविष्य की समृद्धि के लिए सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में अपने से विष्ठ लोगों के ध्यान तथा कार्य पर न करने के दौरान (ऑफ डियूटी में) अनुकूल अथवा विपक्षीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ करता है। इन सबकी पृष्ठभूमि में उद्योगों में कार्मिकों की समस्याएँ प्रकट होती हैं और इन समस्याओं का एवं मानवीय आधार पर सामना करने के लिए यह वांछित है कि बड़े संस्था में कार्मिक विभाग कार्य करें। भावत एल्यूमिनियम में कार्मिक विभाग, विभिन्न मामलों जैसे-भर्ती प्रशिक्षण, कार्य विश्लेषण एवं देणी भाजन, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, अनुशासनिक मामलों, सेवा से तिष्काल्पन, औद्योगिक शक्ति, कर्मचारियों का कल्याण, आवासीय व्यवस्था, मजदूरी, प्रोत्साहन वित्तीय सहायत, कर्मचारियों के कल्याण एवं सामाजिक भुगतान से संबंधित कार्यों को देखता है।

कार्मिक प्रबंध

इसकी शुरूआत जनशक्ति योजना से होती है। भविष्य के लिए के पहले से पढ़ों कि आवश्यकता निश्चित करना, पढ़ों का सृजन, कार्य विश्लेषण, कार्यमूल्य निर्धारण, कार्य विवरण आदि भर्ती चयन, अनुवूचित जाति अथवा अनुवूचित जनजाति के आवश्यण, अनुकरण के आधर पर भर्ती, भर्ती के अन्य विविध प्रकार, वेतन, भत्ते, अग्रिम वेतन, भत्ते, अग्रिम, वेतन से वसूली, आयकर की बूकली आदि, पास पी. टी. ओ सुविधायें, प्रोत्साहन बोनस, कार्य का समय मात्रादेय, किस पुस्तकार, अनुशासन तथा अपील, नियमों तथा आचरण नियमों का अनुपालन कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान, पदच्युति बर्खास्ती वार्षिक निष्पादन समीक्षा, सेवासुविधा पर विभिन्न भुगतानों की व्यवस्था इत्यादि।

हितकार्य

कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विविध प्रकार के हित कार्यों की व्यवस्था जैसे- चिकित्सा सुविधायें, स्कूल मनोरंजन, सहकारी समितियां, महिला समितियां, होली डे होम, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, केंटीन इत्यादि

औद्योगिक संबंध

युवियनों के साथ संबंध, स्थायी वार्तातन्त्र (पी. एन. एस.) संयुक्त सलाहकर समितियां आदि। कर्मचारियों आदि प्रशासन के संबंध मध्ये बनाये रखने के लिए विविध प्रयत्न और कार्य। इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सम्पर्क।

प्रशिक्षण

विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यतकता का पता लगाना और निर्धारित, प्रशिक्षण की प्रयोजना और व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियंत्रण। प्रशिक्षण की उपयोगिता का विवेचन, भविष्य के परिवर्तनों की तैयारी।

कुछ समय से इस विशाल संगठन में यातायात में भारी वृद्धि हुई तथा कार्य प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए हैं जैसे मशीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा कम्प्युटरीकरण इस कारण यह और भी आवश्यक हो गया है कि भारत एल्यूमिनियम में सामाजिक सुव्यक्ता एवं कार्मिक प्रबंध से अपने जनशक्ति को उचित ढंग से नियोजित करे ताकि बड़े हुए काम के बाज़ को दक्षता, कुशलता एवं मितव्ययता के साथ निपटाया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत एल्यूमिनियम के एक बड़े भाग का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा और भी किया जा रहा है। इसके लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता है भारत एल्यूमिनियम परिचालन के लिए प्रबंध की ज़रूरत है जो जनता तको संतुष्ट कर सके इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन का विषय 'भारत एल्यूमिनियम कंपनी में सामाजिक सुव्यक्ता योजनाएँ और कार्मिक प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन' चयनित किया गया है।

विष्णव

भारतीय देलवे एक सरकारी प्रतिष्ठान है जिसके मूल्य वाणिज्यक हैं, कारण यह भारतीय सेवा के शीत्र में कार्यकरत और लाभ का ढृष्टिकोण बनता है। इस विशाल संगठन को सुगम, कुशल और मितव्ययी ढंग से चलाने के लिए जो खाली जकड़तें हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण जकड़त यह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो और उनमें उपयुक्त योग्यता हो तथा जकड़ी कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षित हो।

इतने सुदृढ़ पृष्ठभूमि वाले भारतीय देलवे के विकास का मात्र अभी सूर्योदय हुआ है अतः इसके पूर्ण विकसित होने को कार्ड बोक नहीं सकता जो भी समस्यायें हैं वो या तो व्यक्तिगत हैं या प्रबंधकीय यदि सभी बगों का सहयोग करें तो समस्यायें बाढ़ के पानी की जगह बक्सात का पानी मात्र बन कर कहं जाएगा जो स्वतः हल्के प्रयास में साफ हो जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ-सूचि:-

१. डॉ. मुखर्जी कविन्द्रनाथ -सामाजिक सर्वेक्षण व सामाजिक शोध (विवेक प्रकाशन, जवाहरनगर, दिल्ली १९८८)
२. डॉ. आंडाकर बु. ल. - सामाजिक संशोधन पद्धति (महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडल, सदर, नागपूर १९७३)
३. माझनस एकट १९५२ - (द्रष्टर्न बुक कंपनी ३४, लालबाग, लखनऊ-१)
४. ममेकिया सी.बी - सेवीवर्ग प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध (आगामा साहित्य भवन)
५. मॉयल हाऊस ऑफ जनरल इंटरनेट
६. पहाड़िया बी. एम - आधारभूत समाजशास्त्रीय अवधारणाएँ (विद्या भवन, दिल्ली १९९१-९२)
७. कस्तोनी के. के - श्रम समस्याएँ एवं समाज कल्याण (संजीव प्रकाशन, मेहरान)
८. शर्मा कमेशचंद्र - श्रम समस्याएँ एवं समाज कल्याण (विद्या प्रकाशन, कानपूर १९८७)
९. तिलाका कुंवर सिंह- सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी प्रकाशन केंद्र, लखनऊ-२०
१०. वाजपेयी एस. आर.- सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण, कानपूर किताब महल